



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 538986

किरायानामा विलेख पत्र

अवधि : 30 वर्ष  
किराया : 500/- रुपये प्रतिमाह।  
स्टाम्प शुल्क : 1,500/- रुपये

5/29

हम कि जय नौ सावित्री एजुकेशनल सोसायटी (रजि०), गाजियाबाद द्वारा कोषाध्यक्ष ब्रज किशोर योयल पुत्र स्व. श्रीनिवास योयल निवासी वैष्णो कालोनी मंड दिल्ली रोड पिलखुवा परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद प्रथम पक्ष सम्पत्ति मालिक।

एवम्

B.S.

M. S.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 923290

2

जय मों सावित्री ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, रामपुर परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद द्वारा महासचिव राकेश सिंहल पुत्र श्री हंस राज सिंहल निवासी के जे -28, कबिनगर गाजियाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद (द्वितीयपक्ष किरायेदार)

विदित हो कि भूमि स्थित ग्राम रामपुर परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद में खसरा नं० 140 रकबा 1.1955 हेक्टेयर यानि 11955 वर्गमीटर सम्पूर्ण भूमि को प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा से झुद बुद्धि एवं प्रसन्नचित मुदा में बिना किसी दबाव या बहकावे के द्वितीय पक्ष को किराये पर देने का निर्णय लिया है।

1. यह कि प्रथम पक्ष की सम्पत्ति भूमि रकबा 1.1955 हेक्टेयर जो खसरा नं० 140 में स्थित है को 30 वर्ष के लिए अपनी भूमि को किराये पर देता हूँ।

*Baj*

*Ardy*



2. यह कि भूमि छोड़ने की सूचना प्रथम पक्ष को छ माह पूर्व देना अनिवार्य है।
3. यह कि अपनी भूमि को किराया पर 500/- रुपये प्रतिमाह देव होगा।
4. यह कि इस किरायेनामे की अवधि आज दिनांक 15.06.2009 से शुरू होकर 14.06.2039 तक तीस वर्ष के लिए होगी।
5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि में कॉलेज का संचालन करेगा कॉलेज हित में जिस तरह चाहे भूमि का प्रयोग कर सकता है और आवश्यक निर्माण आदि भी कर सकता है। उक्त भूमि में चार मंजिली एक इमारत बनी है।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को पानी एवं बिजली की आपूर्ति जो साधारण रूप से होती है उसी प्रकार से होगी यदि उसे औद्योगिक या व्यवसायिक बिजली चाहिए तो उसकी व्यवस्था द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा। बिजली पानी का समस्त खर्च किराये में शामिल नहीं है।
7. यह कि प्रथम पक्ष को अपनी भूमि का किसी भी भाग का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Bai

Mishra

2

8. यह कि किसी भी गैर कानूनी काम अथवा प्रतिबंधित वस्तु को विक्री करना या घटिया या मिलावटी वस्तु बेचने का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा प्रथम पक्ष का कोई दायित्व नहीं होगा। 30 वर्ष पश्चात यह किरायेनामा स्वतः ही निरस्त माना व समझा जावेगा।

अतः यह किरायेनामा पत्र आज दिनांक 30.09.2009 को लिख दिया है ताकि सन्देह रहे और समय पर काम आवे। इति।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

*[Signature]*

*[Signature]*



फोटो प्रमाणित  
अजय शंकर शर्मा  
(एडवोकेट)

फोटो प्रमाणित  
राजेश कुमार शर्मा  
(एडवोकेट)

गवाह नं-1

*[Signature]*

Private Rstora  
M. Late Sri. Durg. Prakashdas  
11-VINAY PARK  
MADRAS, INDIA. 201201

गवाह नं-2

*[Signature]*

Ref. no 3303102  
Balcony 1/2  
Civil Court Complex  
MADRAS

*[Signature]*  
अजय शंकर शर्मा  
(एडवोकेट)

रजि० नं० 884/97  
तहसील कम्पाउन्ड, हापुड़  
मो. - 9837455191

ए.सी. बुक नं० १ जिल्हा 1728 318/324

नं० 635 पर आज दिनांक 6/10/99

सजिस्ट्री की गई।

d. D.  
उप निबन्धक  
राजपुर, उ.








(15)  
 नाम: ए.ए.ए.  
 पता: 500  
 दि: 30 SEP 2009  
 राज्य: ...  
 पिन कोड: ...  
 मोबाइल नं: ...  
 पता: ...

जयभूमि सावित्री कल्याण  
 सोलापूर - धुलगाव



Be!

Hand

Lamp



R. K. ...

... 1/2 ...  
 ...



...  
 6/10/09

उपरोक्त का निवेदन संख्या 2010/3/2010

आपका नाम/पता: श्री शक्ति सिंह  
पता: उ  
संबंधित व्यक्ति का नाम: 100/1

**प्रदीप कुमार यादव स्टाम्प विक्रेता**  
कार्य संख्या-160  
आदेश की पंजीकरण की तिथि 31-3-2010  
अधिकृत विभाग के नाम का आदेश नं० 297  
अभिज्ञान क्रमांक 5/3/2010



किंमत 30 वर्ष कि 500 प्रतिमाह

720/- निशुल्क 201- प्रति शुल्क 740/- योग 700 शेष

श्री शक्ति सिंह पुत्र श्री हरशंकर सिंह  
पेरा ए निवासी कै. जे. काबिनगाँव गांधीवाड़ा

ने कार्यालय सबरिजिस्ट्रार हापुड में दिनांक 6/10/09  
मध्य समय 4 व 5 बजे प्रस्तुत

M. Singh

6/10/09  
सहायक निशुल्क अधिकारी

इस लेख पत्र का सम्पादन एवं इतर विषयों पर समन मु...  
उत्तर में से .....

अबन मेरे समय प्रकाश विवेका श्री शक्ति सिंह गोयल श्री निवास गोयल श्री वेठनी कालानी  
राष्ट्र दिल्ली रोड पिज हवन ने मात तंकमील से शक्ति सिंह श्री इन्वने ने  
स्वीकार किया

- 1. पवन रस्तोगी
- 2. क्या प्रकार
- 3. निनय पारि ओपनिंग
- 4. श्री. पी. शिवराज मा. सि.
- 5. सिविल कोर्ट हापुड



6/10/09









					<p>1410-100 30.3.2010</p> <p>1410-100 30.3.2010 के लिए 100 के ब.न. 140/ 2.750 के ब.न. 52 का भी बंधन लागू किया गया है जो बंधन लागू होने के लिए 1,00,000/- रु. के भी बी.ए.ए. है।</p> <p>1420-100 25-08-2013 के लिए 140/ 2.750 के ब.न. 52 का भी बंधन लागू किया गया है जो बंधन लागू होने के लिए 40,000/- रु. के भी बी.ए.ए. है।</p> <p>1421-100 14/04/2014 के लिए 144 के ब.न. 140/ 2.750 के ब.न. 52 का भी बंधन लागू किया गया है जो बंधन लागू होने के लिए 1,00,000/- रु. के भी बी.ए.ए. है।</p> <p>1422-100 14/04/2014 के लिए 144 के ब.न. 140/ 2.750 के ब.न. 52 का भी बंधन लागू किया गया है जो बंधन लागू होने के लिए 1,00,000/- रु. के भी बी.ए.ए. है।</p> <p>1423-100 14/04/2014 के लिए 144 के ब.न. 140/ 2.750 के ब.न. 52 का भी बंधन लागू किया गया है जो बंधन लागू होने के लिए 1,00,000/- रु. के भी बी.ए.ए. है।</p> <p>1424-100 14/04/2014 के लिए 144 के ब.न. 140/ 2.750 के ब.न. 52 का भी बंधन लागू किया गया है जो बंधन लागू होने के लिए 1,00,000/- रु. के भी बी.ए.ए. है।</p> <p>1425-100 14/04/2014 के लिए 144 के ब.न. 140/ 2.750 के ब.न. 52 का भी बंधन लागू किया गया है जो बंधन लागू होने के लिए 1,00,000/- रु. के भी बी.ए.ए. है।</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>दिया 135 करोड़ का अनुदान। वहीं इस वर्ष किसानों को 2021 की पहली बार से सेक्यूरिटी का अनुदान दिया जा रहा है। ए.ए.ए. 13.2.15.</p> <p>1423-वीं वार्षिक रिपोर्ट में अनुमानित राशि 7.12.19% अर्थात् अनुमानित 80001432.756 से 14 का अनुदान का अनुमान दिया जा रहा है। इस अनुदान का अनुमान 2,00,000+0 से अनुमानित किया गया है। अनुमानित 15.12.15</p>				
				₹	2,7300	₹ 100.00	13		0
<p>आवेदनकर्ता का नाम: श्री. वीरपाल सिंह, पता: बालासोर, जिला: बालासोर, राज्य: ओडिशा</p> <p>Data Digitally Signed by: VEERPAL SINGH</p> <p>आवेदनकर्ता का नाम: श्री. वीरपाल सिंह, पता: बालासोर, जिला: बालासोर, राज्य: ओडिशा</p> <p>डिजिटल हस्ताक्षर: 20/04/2017 11:08 AM</p>									







							वेब संस्करण: 02.05.14	
			1	0.2630	₹6.75	4		0
कुल कर - रु. कुल देयता - रु. कुल देयता में से बीपीएस (डिडिआर) कुल देयता - रु. कुल देयता का बीपीसी								
Data Digitally Signed by: VEERPAL SINGH								
वेब संस्करण: 02.05.14								
वेब संस्करण: 02.05.14								
वेब संस्करण: 02.05.14								



वेब संस्करण: 02.05.14





			1	0.0470	₹ 1.90	4		0
कुल को-OP कुल सेवास- कुल उपवास कुल का कुल कुल (केटीका) कुल कु-उपवास- कुल उपवास की कुल कुल								
Data Digitally Signed by: VEERPAL SINGH								
यदि आप यहाँ से किसी http://pau.ac.in वेबसाइट पर एक फ़ॉर्म देखें।								
एक अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया गया है। दिनांक: 28-04-2017 (12:04) * ये एक ऑनलाइन प्रमाणित फ़ॉर्म है जो कि ऑनलाइन से ही बनाया गया है।								











